A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

न्यायासीन अधिकारी–

करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
48/अपील/18	09.04.2018	09.05.2022

1. जानकी पुत्री नन्दा जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवास इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. मनफूली पुत्री नन्दा जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवास अरनेठा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. नटी बाई पुत्री नन्दा जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवास गुदली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. लटूर लाल आ0 नन्दा जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. बुद्धिप्रकाश आ0 नन्दा जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवास सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामदेव आ0 रामनिवास जाति तेली निवासी बन्थली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. शांति बाई पत्नी प्रभु पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी बन्थली तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. सरस्वती पत्नी सुवालाल पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी फेक्ट्री की क्वार्टर, आई.एच.एस. कोलोनी, म.नं. 124, सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर।
4. बरजी बाई पत्नी किशना पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी लबान की झौपड़ियां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
5. सीता बाई पत्नी प्रहलाद पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी नीमखेडा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से – श्री विशाल सनाढय एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार नैंनवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 25.05.1999 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 20 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, 64 रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा, 123 रकबा 11 बीघा, 233 रकबा 15 बीस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 5 बीस्वा हैं, जिसके खातेदार मृतक रामनिवास आ0 भंवर लाल था, जिसकी मृत्यु उपरान्त फोती

अति0 जिला कलक्टर

संख्या 170 दिनांक 25.05.1999 को नायब तहसीलदार नैंनवा ने रेस्पोडेन्ट रामदेव के पक्ष में दर्ज किया था। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.2016 अपील को अवधि बाधित मानकर खारिज कर दिया था। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा के यहां इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा द्वारा दिनांक 31.01.2018 को निर्णय पारित करते हुये इस न्यायालय के आदेश 09.03.2016 को अपास्त कर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया हैं कि पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा के यहां से प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 4 बावजूद सूचना दिनांक 10.11.2020, रेस्पो0 संख्या 3 बावजूद सूचना दिनांक 02.02.2021, रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 5 बावजूद सूचना दिनांक 12.02.2022 को उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदत्त किये गये।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 20 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, 64 रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा, 123 रकबा 11 बीघा, 233 रकबा 15 बीस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 5 बीस्वा कृषि भूमि हैं, जिसके खातेदार रामनिवास आ0 भंवर लाल था जिसकी मृत्यु के कारण उसका फोती नामान्तरकरण संख्या 170 नायब तहसीलदार नैंनवा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामदेव के पक्ष में दर्ज किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रामनिवास आ0 भंवर लाल के कानूनी, वैद्य उत्तराधिकारियों की कोई जांच नहीं की गई हैं। मृतक रामनिवास आ0 भंवर लाल के एक पुत्र रेस्पो0 संख्या 1 रामदेव एवं पांच पुत्रियां रेस्पो0 संख्या 2 शांति बाई, रेस्पो0 संख्या 3 सरस्वती बाई, रेस्पो0 संख्या 4 बरजी बाई, रेस्पो0 संख्या 5 सीता बाई एवं पांचवी पुत्री संतरा बाई थी जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं। संतरा बाई के उत्तराधिकारी अपीलांट संख्या 1 लगायत 5 हैं। इस प्रकार मृतक रामनिवास की भूमि में मृतक संतरा बाई का हिस्सा निहित था। रेस्पो0 संख्या 1 ने स्वयं को मृतक रामनिवास का उत्तराधिकारी बताकर विवादित आराजी का अपने नाम फोती इन्तकाल राजस्व कर्मचारी/अधिकारी से मिलीभगत कर तस्दीक करवा लिया हैं जबकि अपीलांट संख्या 1 लगायत 5 व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम उनके हिस्से अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 16.10.2014 को हुई, उसी दिन नकल नामान्तरकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 16.10.2014 को ही नकल प्राप्त की, इसलिए जानकारी की तारीख से अपील अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत की गई थी तथा अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत किया गया था। अतः उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 25.05.1999 को खारिज किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा के निर्देशानुसार गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित हो।

अति0 जिला कलक्टर

A6/3

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में यह विदित हैं कि कृषि भूमि खसरा सख्या 20 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा, 123 रकबा 11 बीघा, 233 रकबा 15 बीस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 5 बीस्वा जो मृतक रामनिवास के नाम थी, जिसका नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 रामदेव के नाम तस्दीक किया गया हैं। विवादित नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 25.05.1999 के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह जाहिर आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रामनिवास के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया हैं। यह उल्लेखनीय हैं कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक fiscal कार्यवाही हैं, जिससे कोई अंतिम अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रामनिवास के अन्य उत्तराधिकारियों को अपने हकों से वंचित रखा गया हैं जो वैद्यानिक दृष्टि से कथई उचित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा येन–केन प्रकरणारेण कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया हैं। अतः माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा के निर्णय दिनांक 31.01.2018 में दिये गये निर्देशों की रोशनाई में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 25.05.1999 निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक रामनिवास के सभी विधिक वारिसान (अपीलांटस/रेस्पोडेन्टस) को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह)
अति0 जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)
बूंदी